न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/284

सियाराम आयु 24 वर्ष आत्मज हीरालाल जाति गुर्जर निवासी बलदेवपुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. लेफ्टीनेन्ट कर्नल भूपेश हाडा आयु 43 वर्ष आत्मज विजयराज सिंह हाडा (वी0आर0एस0 हाडा) जाति राजपूत निवासी ए–6 रघुकुल पुलिस लाइन रोड, बून्दी ।
2. शासन उप सचिव, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री किशन अग्रवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2013 के द्वारा राजस्थान शोर्य पुरस्कार (नगद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 के नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए शासन उप सचिव, उपनिवशन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प.21 (3)उप/2002 दिनाक 23.08.2013 की अनुपालना में डी0बी0 स्पेशल अपील संख्या 14645/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम लेफ्टीनेन्ट कर्नल श्री भूपेश हाडा के निर्णय के अध्ययधीन ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा की आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 395/3

रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा कुल 02 कित की कुल रकबा 25 बीघा भूमि लेफ्टीनेन्ट कर्नल श्री भूपेश हाडा को निःशुल्क आवंटन करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.09.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन करने से पहले वादग्रस्त आराजी के मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब नहीं की है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं है । राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 08.08.2012 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जो भी भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को उसके आवेदन पर आवंटित की जावे वह भूमि विवादित अथवा अन्य किसी के कब्जेशुदा भूमि न हो । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आंवटित आदेश दिनांक 10.09.2013 खारिज फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 4 अपीलान्ट के कब्जे वाली भूमि पर रेस्पोडेन्ट को दखल दिये जाने व अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटित आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं और वह उक्त प्रकरण हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने न्यायायल हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेज में नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 खाता संख्या 01 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 नया खाता संख्या 01 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 नया खाता संख्या 61 की प्रमाणित प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2063 से 2066 की प्रमाणित प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2067 से 2070 की प्रमाणित प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति, एवं दखलनामा दिनांक 01.03.2013 एंव दिनांक 30.10.2013 की फोटो प्रति पेश की हैं । उक्त

दस्तावेजात में दखलनामा दिनांक 01.03.2013 एंव दिनांक 30.10.2013 की फोटो प्रति पेश की हैं और शेष दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ है जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में से दखलनामा दिनांक 01.03.2013 एंव दिनांक 30.10.2013 की फोटो प्रति को छोडकर शेष दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 3 के द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 395/3 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा कुल 02 कित की कुल रकबा 25 बीघा भूमि वाके ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा की आवंटित करने की । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 4465/2006 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2012 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जो भी भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को उसके आवेदन पर आवंटित की जावे वह भूमि विवादित अथवा अन्य किसी के कब्जेशुदा भूमि न हो । रेस्पोडेन्ट क्रम 03 के आदेशाानुसार डीबी स्पेशल अपील संख्या 14645/2013 के निर्णय के अध्ययधीन पुनः ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा की खसरा नम्बर 02 की 63 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बीघा व खसरा नम्बर 395/3 की 57 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 3 के कार्यालय आदेश नम्बर 149 दिनांक 10.09.2013 को भूमि आवंटित कर दी । खसरा नम्बर 02 की 07 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कई वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट की फसल खडी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में आराजी आवंटित हुई है, कब्जा भी दिया गया है, खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं, दखलनामा भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । आवंटन मानीनय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हुआ है यदि अपीलान्ट को इस आवंटन से कोई आपत्ति है तो वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं । खातेदारी अधिकार मिलने के उपरान्त आवंटित आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2016 (एससी) पेज 634, डीएनजे 1997 (राज0) पेज 413 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश दिनांक 10.09.2013 को चैलेंज किया गया है । दिनांक 10.09.2013 के जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया । अपीलाधीन आवंटन आदेश जिला कलक्टर, बून्दी ने उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.21 (3)उप/2002 दिनांक 23.08.2013 की अनुपालना में डी0बी0 स्पेशल अपील संख्या 14645/2013 के निर्णय के अध्ययधीन जारी किया है । इस प्रकार उक्त आदेश राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त जारी किया गया है और राज्य

सरकार के आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई का इस न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है ।

12. वैसे भी अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का अतिक्रमण बताते हुए आवंटन आदेश को चैलेंज किया गया है और माननीय राजस्व मण्डल ने कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकसस्टण्डाई नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.09.2013 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा